आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

भू–हदबन्दी वाद सं0–20 / 2018

मीनाक्षी वडेरा

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
06.02.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20477 / 2021 में दिनांक 07.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा भू–हदबन्दी विविध वाद–04 / 99 में दिनांक–26.12.2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट हो कर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के पारित समादेश दिनांक 07.01.2022 में निम्न अंकित किया गया है– "As such, petition stands disposed of in the following terms:- (a) Petitioners shall approach the authority concerned within a period of four weeks from today by filing a representation for redressal of the grievance(s): (b) The authority concerned shall consider and dispose it of expeditiously by a reasoned and speaking order preferably within a period of four months from the date of its filing along with a copy of this order." अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के उक्त आदेश तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को सूचना भेजे जाने के बावजूद इस वाद मे सुनवाई की विगत तिथि दिनांक 13.01.2023 एवं 23.01.2023 को उनके	

WEB COPY NOT OFFICIAL

विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। साथ ही इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि दिनांक 23.01.2023 को दुलारचंद्र ढ़ांगर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हस्तक्षेप क हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि यह वाद इस न्यायालय मे दिनांक 12.02.2018 को दायर किया गया, इसमें सुनवाई की कई तिथियों के निधारण के दरम्यान दुलारचंद्र ढ़ांगर द्वारा हस्तक्षेपक हेतु कभी कोई आवेदन नहीं दिया गया एवं अब जब सुनवाई की अंतिम तिथि निर्धारित है तो उनके द्वारा हस्तक्षेपक हेतु आवेदन देना यह परिलक्षित करता है कि इनके द्वारा जान बुझकर मामला को और लंबित करने का प्रयास किया जा रहा है, अतः उनके हस्तक्षेपक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। मामला माननीय उच्च न्यायालय मे दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1350/2021 से संबंधित होने के कारण, अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल किया गया अभ्यावेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनते हुए इस वाद में आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलकर्ता का कथन है कि भू–हदबन्दी वाद संख्या–01/73–74 सरकार बनाम रविन्द्रनाथ मेहता में अधिनियम की धारा 15 (I) के अर्न्तगत 170.80 एकड़ अधिशेष भूमि घोषित कर गजट प्रकाशन दिनांक–25.03.1985 द्वारा अधिगृहित की गयी थी, जिसमें से ग्राम–रून्नीसैदपुर, खाता–1563, खेसरा–8822, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076 से 10077 तक कुल रकबा 20.71 एकड़ भूमि पर अपील कर्ता के श्वसुर (Under Raiyat) दर रैयत थें। चूँकि उन्हें सीलिंग वाद की जानकारी नहीं मिली, अतः वे सीलिंग अधिनियम की धारा–21 एवं 22 के अर्न्तगत उक्त भूमि पर अपना दर रैयती अधिकार बरकरार रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं कर पायें। तत्पश्चात् उन्होने माननीय उच्च न्यायायल में CWJC-3054/87 दायर किया जिसमें दिनांक–08.10.1998 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता, सीतामढ़ी के न्यायालय में भू–हदबन्दी विविध वाद–04/99 संस्थापित कर अपीलकर्ता के दर रैयती अधिकार के दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा–21 एवं 22 के अर्न्तगत अपीलकर्ता को अनुतोष देने पर पुनर्विचार किया गया। किन्तु समाहर्ता सीतामढ़ी ने अपीलकर्ता द्वारा

WEB COPY NOT OFFICIAL

याचित अनुतोष खारिज कर दिया जिसके कारण यह भू–हदबन्दी विविध अपील दायर करना पड़ा।

अपीलकर्ता का आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्ता के श्वसुर का दखल कब्जा भू–हदबन्दी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि–22.10.1959 के भी काफी पहले से ही था । रिविजनल सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में भी उनका नाम ''बकब्जे'' दर्ज है। वर्ष–1974 में वास्तविक भूधारी द्वारा रिर्टन दाखिल किया गया था, जिसमें भी यह तथ्य दर्ज है। फिर भी समाहर्ता द्वारा अपीलार्थी को Under Raiyat नहीं माना गया एवं उनके अनुतोष आवेदन को खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्त्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने भू–हदबन्दी अधिनियम–1959 की धारा–21 (1) एवं (2) के अर्न्तगत समाहर्ता, सीतामढ़ी के न्यायालय से अनुतोष की माँग की थी। अधिनियम की धारा–(01) एवं (02) में प्रावधान है कि:–

1. If there is an under raiyat on the surplus land on the date it vests in the state under the provisions of this Act such under raiyat shall, if he makes an application in this behalf in the prescribed manner, be allowed to retain as accupancyraiyat, subject to the payment, in the prescribed manner and within the prescribed period to the State Government the amount specified in this behalf in the schedule, so much of the land as together with all the other lands held by him anywhere in the state does not exceed the area he may hold under section-5
2. If the under raiyat referees or fails to make such application within the said period he shall be liable to be ejected by the Collector and where he is allowed to retain the land under sub section (i), he shall not have any right to transfer the land until the entire amount he is liable to pay to the State Government under sub section (i) has been paid.

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिनियम की धारा (1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिशेष भूमि जिस तिथि से सरकार में निहित हुई यदि उस तिथि को कोई दर रैयत था तभी वे धारा–21 (1) के अर्न्तगत भूमि retain करने हेतु अनुतोष की माँग कर सकते है। अधिनियम के इस प्रावधान के अर्न्तगत वे स्वयं को दर रैयत (Under Raiyat) घोषित करने हेतु माँग नही कर सकता। बल्कि जो Surplus land की Vesting की तिथि को घोषित दर रैयत थें वही धारा–21 (1) के अर्न्तगत अनुतोष की माँग कर सकते है। अपीलार्थी के दावे के अनुसार यदि Vesting के काफी पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में थें एवं कास्तकारी कर रहे थें तो उन्हें Bihar Tenancy Act 1885 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत खुद के लिए Occupancy right की माँग सक्षम प्राधिकार से करनी चाहिए थी और खुदको Under Raiyat घोषित करवाना चाहिए था। सिर्फ खतियान के कैफियत कॉलम में (बकब्जे) दर्ज होने से अथवा किसी के Return दाखिल करने मात्र से कोई Under Raiyat नही हो जाता जब तक कि सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें Under Raiyat घोषित न कर दिया जाये। निम्न न्यायालय के अभिलेख में अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित होता होकि वे, On the date of Vesting of surplus land, प्रश्नगत भूमि के दर रैयत थें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समाहर्ता, सीतामढ़ी द्वारा भू–हदबन्दी विविध वाद 04/99 में दिनांक–26.12.2017 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपील वाद को खारिज किया जाता है। समाहर्त्ता, सीतामढ़ी प्रश्नगत जमीन का सदुपयोग एवं सुरक्षा करवाना सुनिश्चित करायेंगे।

लेखापित एवंसंशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL